राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि / नरेगा / स.टास्क / 2011-12 जयपुर, दिनांक : 29 APR 2022

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय के संबन्ध में।
प्रसंगः- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्य का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे (विश्राम काल रहित) तक करने का निर्णय लिया गया है।यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से दिनांक 15.7.2022 तक प्रभावी रहेगी। इसके उपरान्त कार्यो का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम के प्रावधान के तहत अपने स्तर से निर्धारित कर सकेंगे।

यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारीगण।
6. अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
8. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

H:\MPR 2022-23\letter 2022(1).docx

Scanned with CamScanner